

विशेष विवरण

1. माध्यमिक परीक्षा में श्रेणी (Division) निर्धारण के लिये पूर्णांक 600 हैं। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी (Division) में उत्तीर्ण होने के लिये क्रमशः 60,45 तथा 33 प्रतिशत अंक लाना आवश्यक है एवं प्रमाण पत्र अंक-तालिका सहित में प्रतिशत (%) दर्शाये जायेंगे। विशेष योग्यता 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर ही भाषा विषयों सहित सभी विषय/विषयों में दी जायेगी। परीक्षा श्रेणी (Category) 4 एवं 5 के परीक्षार्थियों के लिए यह नियम लागू नहीं होंगे।
2. नियमित परीक्षार्थियों के लिये समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, कला शिक्षा, फाउन्डेशन आफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी विषय लेना अनिवार्य है, किन्तु स्वयंपाठी परीक्षार्थियों को इन विषयों से मुक्त रखा गया है। फाउन्डेशन आफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी तथा शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा विषयों में अंक प्रदान किये गये हैं तथा शेष विषयों में अंकों के स्थान पर निम्नानुसार ग्रेडिंग किया गया है :-
उत्कृष्ट- A, बहुत अच्छा - B, अच्छा - C, सामान्य - D, सामान्य से कम - E
3. परीक्षा श्रेणी (Category) का तात्पर्य परीक्षा में सम्मिलित निम्न प्रकार के परीक्षार्थियों से है :-
(क) सम्पूर्ण विषयों में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी..... 1
(ख) श्रेणी (Division) सुधार हेतु पुनः सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी..... 2
(ग) पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी S
(घ) अतिरिक्त विषय/विषयों में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी..... 4
(ङ) प्राच्य भाषा में उत्तीर्ण होने के बाद अंग्रेजी अनिवार्य अथवा हिन्दी अनिवार्य विषय में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी 5
(च) अंकों में सुधार हेतु एक या अधिक विषयों में (किन्तु सम्पूर्ण विषयों में नहीं) सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी 6
(छ) कक्षा आठवीं उत्तीर्ण आधारीत N.C.V./I.T.I. में अध्ययनरत/उत्तीर्ण पश्चात् माध्यमिक की समकक्षता हेतु हिन्दी एवं अंग्रेजी में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी 9
4. परीक्षा में प्रविष्ट होने के उपरान्त भी परीक्षार्थी प्रमाण पत्र अंक-तालिका सहित में किसी विषय में अनुपस्थित पाता है तो वह केन्द्राधीक्षक से उपस्थिति प्रमाणित करवाकर अधिकतम तीन माह की अवधि में बोर्ड कार्यालय को सूचित करे।
5. बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रलेखों की प्रविष्टि में हेरफेर अथवा खोबदल /ऊपरीलेखन करना दंडनीय कार्य है, ऐसा पाये जाने पर दोष की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
6. प्राप्तांकों की निर्धारित अवधि में संवीक्षा (पुनर्गणना) का प्रावधान है। संवीक्षा (पुनर्गणना) में किसी भी अभ्यर्थी की उत्तर-पुस्तिका की पुनः जांच (Re-examination) करना समाविष्ट नहीं है। संवीक्षा के नियम/निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
7. प्रतिलिपि प्रमाण-पत्र अंकतालिका सहित पर परीक्षार्थी का फोटो मुद्रित नहीं किया जाता है।
8. यदि परीक्षार्थी के नाम/पिता/माता के नाम/ उपनाम अथवा जन्म तिथि के संशोधन अपेक्षित है तो नियमानुसार परिणाम घोषणा की तिथि से पांच वर्ष की अवधि में संशोधन की कार्यवाही करे। उसके पश्चात् संशोधन नहीं किया जायेगा।
9. संकेताक्षर (ABBREVIATIONS) :-
AA - अनुपस्थित
D - विषय में विशेष योग्यता
G - सानुग्रह अंक
* - अंको में सुधार हेतु गत परीक्षा के प्राप्तांक

विद्यालय प्रधान / केन्द्राधीक्षक द्वारा पृष्ठांकन

प्रमाणित किया जाता है कि परीक्षार्थी के नाम, माता -पिता के नामों की वर्तनी (स्पेलिंग) सहित जन्म दिनांक की शाला रिकॉर्ड के अनुसार भली प्रकार से जांच कर ली गई है। सही पाये जाने पर परीक्षार्थी जिसके हस्ताक्षर नीचे किये हुए हैं का प्रमाण-पत्र अंकतालिका सहित दिनांक : को दिया गया।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

प्रधानाधीक्षक (1240348)
विद्यालय प्रधान / केन्द्राधीक्षक के
हस्ताक्षर व विद्यालय-वर्तनी रक्षक मोहर

नोट :- परीक्षार्थी के नाम , माता - पिता के नामों में वर्तनी (स्पेलिंग) या उपनाम/जन्म दिनांक में शाला रिकॉर्ड से भिन्न पाये जाने पर संशोधनार्थ अपनी अभिशंषा के साथ नियमानुसार मूल दस्तावेज व प्रमाणित प्रतियां सहित दस्तावेज तुरन्त बोर्ड को लौटा दिये जावें।

परीक्षार्थी को यदि मूल प्रमाण-पत्र अंकतालिका सहित उक्त पृष्ठांकन के बिना दिया गया हो तो यह अमान्य होगा।